

भाग - 2
(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रपोजल संख्या - FP/UP/TRANS/15538/2015)

1.	परियोजना / स्कीम का नाम	जनपद- औरैया में साउथ ईस्ट उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 765 के0वी0 मैनपुरी-बारा एकल परिपथ पारेषण लाईन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि कुल 1.7141 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
1.1	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
1.2	वन प्रभाग	औरैया वन प्रभाग, औरैया
1.3	वर्णित प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे०)	1.7141 हे0
1.4	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वनभूमि (1.3685 हे0) एवं संरक्षित वनभूमि (0.3456हे0)
1.5	हरियाली का घनत्व	0.1
1.6	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)	
1.7	सिंचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में ऐंफ्र० आर० एल०४ मी० भी संलग्न किये जाएं।	
1.8	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	ऊसर
1.9	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	
1.10	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल, रिज़र्व बाघ, रिज़र्व हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हाँ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जायें)	नहीं
1.11	क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ / संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं , यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - १ कालम २ में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और निवनतम है यदि नहीं तो मांगे गए विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	आरक्षित वनभूमि (1.3685 हे0) एवं संरक्षित वनभूमि (0.3456हे0) परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहे हैं।	नहीं
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	
4.1	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अभिक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखंडों की संख्या प्रत्येक भूखंड का आकार आदि का विवरण।	
4.2	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र के आसपास की सीमाओं को दर्शाता मैप।	
4.3	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण	
4.4	कार्यान्वयन एजेंसी, समय, अनुसूची लागत, ढांचा आदि।	
4.4.1	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	
4.4.2	मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य।	संलग्न है।
4.5	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे	



	में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किया जाए)	
5.	जिला उपवन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम - ७, ८ और ९ में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	
6.	विभाग / जिला प्रोफाइल	वन विभाग
6.1	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2016 वर्ग किमी०
6.2	जिले का वन क्षेत्र	10010.149 हे०
6.3	मामलों की संख्या सहित १९८० से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	
7.	१९८० से निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण का लक्ष्य	
7.1	दंड के रूप में	
7.2	वन भूमि पर	
7.3	गैर वन भूमि पर	
8.	प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
8.1	दंड के रूप में वनीकरण	
8.2	वन भूमि पर	
8.3	गैर वन भूमि पर वनीकरण	
9.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष संस्तुति	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 12/09/2024

स्थान— औरैया।

प्रभागीय वनाधिकारी
औरैया वन प्रभाग, औरैया